न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–70 / 2018 (2018 / 00136) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–सुभाषचन्द्र आत्मज लक्ष्मीलाल सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1–गुलाब आत्मज गंभीर माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश टेलर – प्रार्थी अधिवक्ता
2. जाकिर हुसैन – विपक्षी अधिवक्ता

निर्णय दिनांक–12.01.2021

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2566 रकबा 0.68 है0, आराजी संख्या 2582 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 2583 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 2565 रकबा 0.03 है0 स्थित है। प्रमाण नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण अपनी उक्त वर्णित आरायिजात में आवागमन का एक मात्र रास्ता जो कदमी, संज, बैल, ट्रेक्टर आदि सहित आवागमत हेतु विपक्षी की एवं प्रार्थी व अन्य की आराजी संख्या 2561 कुएं के पास होकर आगे विपक्षी की आराजी संख्या 2562 व 2564 की पूर्वी पाली पर होकर प्रार्थी की आराजियात संख्या 2565 सामलाती कुएं पर तथा प्रार्थी की आराजी संख्या 2566, 2582, 2583 में प्रवेश करते है और इसी से प्रार्थी का आवागमन होता रहा है। उक्त रास्ता केवल मात्र कदीमी होने से संज बैल ट्रेक्टर आदि आ जावे इस हेतु उक्त रास्ते की चौड़ाई 15 फीट में विस्तार किया जाना नितान्त आवश्यक है। उक्त वर्णित रास्ते के अलावा प्रार्थी के कोई अन्य रास्ता मौजुद नही है। प्रार्थी के आवागमन करने का एक मात्र यही रास्ता है। उक्त भूमि विपक्षी के नाम है प्रार्थी रास्ता दर्ज कराना चाहता है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम रायपुर की उक्त वर्णित प्रार्थी की आराजियात पर संज बैल, ट्रेक्टर पैदल सहित आवागमन करने का रास्ता प्रार्थी के हिस्से की चाह संख्या 2575 के पश्चिम तरफ खाली पड़ी भूमि से होकर आगे आराजी संख्या 2561 कुएं के पास होकर आराजी संख्या 2562, 2564 की पूर्वी पाली पर होकर प्रार्थी की सामलाती चाह 2565 तक लम्बाई और 15 चौड़ाई में बिलानाम रास्ता दर्ज करने का आदेश प्रदान कराया जावे तथा उक्त वर्णित रास्ता मौके पर सदैव खुला रखाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के [illegible] 25.07.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। [illegible] पालना में विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। [illegible] संख्या 1 की ओर से जवाब में अकिंत किया कि प्रार्थना पत्र में व[illegible]हुए प्रार्थी [illegible] चाह संख्या 2565 में व उसकी आराजी मे आवागमन का कदीमी [illegible]स्ता शामलाती चाह [illegible] 2575 के पश्चिम में व विपक्षी के चाह संख्या 2561 में से होकर नहीं हैं तथा नही प्रार्थी ने कभी विपक्षी की आराजी संख्या 2561, 2562, 2564 से आवागमन किया है। प्रार्थी व अन्य खातेदारान के शामलाती चाह संख्या 2575 के आगे विपक्षी की आ.सं. 2576 रोड़ से लगती हुई है तथा मौके

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.29 13:58:13 IST
Reason: SelfAttested

पर रास्ते के कोई अलामात नहीं है तथा मौके पर गहरी खाई है। प्राथी की आसं. 2565, 2566, 2582, 2583 में आवागमन का एक कदीमी रास्ता आ. स. 2578 में स्थित रास्ते से होकर अपनी आराजी में आवागमन करते हैं तथा मौके पर ग्रेवल सडक का रास्ता बना हुआ है जो प्रार्थी के खेतो तक जा रहा है। इसी तरह प्रार्थी की आराजी में आवागमन का दुसरा रास्ता आ.सं. 2578 से होकर सीधे आसं. 2580, 2581 में होकर प्रार्थी की आसं. 2582 में जाता है तथा इसी रास्ते से प्रार्थी अपनी आराजी में आवागमन करता चला आ रहा हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात में आवागमन का कदीमी रास्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में बताए अनुसार विपक्षी की आराजी में नहीं होकर दो रास्ते मौके पर मौजूद हैं जिससे प्रार्थी अपनी आराजियात में आवागमन कर रहा हैं। प्रार्थना पत्र झुठे व मनगढ़त आधारो पर पेश किया है अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका में अंकन किया कि यह कि ग्राम रायपुर जी आराजी नम्बर 2566 रकबा 0.68 हैक्टयर आराजी नम्बर 2582 रकबा 0.26 हैक्टयर व आराजी नम्बर 2583 रकबा 0.25 हेक्टयर प्रार्थी सुभाषचन्द्र पिता लक्ष्मीलाल सुखलेचा की नाम दर्ज रिकार्ड है एवं आराजी नम्बर 2565 रकबा 0.3 हेक्टयर मै.मु.आचा शामलाती खाते में दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि एक ही चक में है भूमि में आवागमन का रास्ता रिकार्ड में दर्ज नहीं है तथा मौके पर भी रास्ता बना हुआ नही है मौके पर वर्तमान के अन्य खातेदारों की भूमि में चालु रास्ता बन्द नही है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ते के अलावा वर्तमान चालु रास्ता आराजी नम्बर बिलानाम 2618 रकबा 0.10 है0 किस्म गै.मु रास्ता से होकर आराजी नम्बर 2580, 2581 की पूर्वी मेड़ के सहारे सहारे होकर प्रार्थी की आराजी नम्बर 2583 में प्रवेश कर रहे है। वर्तमान में बिन्दु सख्या 3 में अंकित रास्ते से आवागमन किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा विपक्षी की आराजी नम्बर 2562, 2564 में रास्ता 15 कीट चौड़ा रास्ता चाहता है उक्त आराजी के पूर्वी पाली पर चाहा गया है परन्तु मौका एवं रिकार्ड के अनुसार आराजी नम्बर 2562 रकबा 0.07 हैक्टयर में से 125 वर्गगीटर यानि 0.0125 हैक्टयर व आराजी नम्बर 2564 रकबा 0.28 हैक्टयर में से 300 वर्गगीटर यानि 0. 0300 हैक्ट मे होकर वादी का कुआ आराजी नम्बार 2565 के फरे में होकर आराजी नम्बर 2566 में प्रवेश किया जा सकता है। उक्त भूमि की डीएलसी रेट 173304 रूपये प्रति बीघा है। वर्तमान में जो रास्ता अवागमन हेतु उपयोग में आ रहा है जिसको नक्शे में बल्यू इंक से और जो रास्ता चाहा गया है उसे लाल स्याही से दर्शाया गया। मोके पर बिन्दु संख्या 3 व बिन्दु संख्या 5 के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

क्र. स.	ग्राम का नाम	आराजी संख्या	कुल रकबा	रास्ता उपयोग का रकबा	डीएलसीदर प्रति बीघा 173304 रूपये
1	रायपुर	2562	0.07 है0	0.0125 है0	34083 रूपये का दुगुना 68167 रूपये
2	रायपुर	2564	0.28 है0	0.0300 है0	
				योग कुल रकबा 0.0425 है0	कुल राशि 68167 रू.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.29 13:58:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ता की दुरी कम है और आबादी से खातेदारी भूमि में आने का यही नजदीक रास्ता है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी में आवागमन हेतु मौके पर रास्ता चालु है जो प्रार्थी आराजी संख्या

2578 एवं 2618 में होकर आराजी 2580 व 2581 की दक्षिणी मेड़ पर होता हुआ अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश करता है अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी अपनी आराजी में आवागमन हेतु आराजी संख्या 2562 और 2564 की पूर्वी मेड़ से रास्ता चाहा गया है जिसकी दुरी 100 मीटर है और विपक्षी का कथन है कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते आराजी संख्या 2562 से पूर्व की ओर चलते हुए आराजी संख्या 2640 में होकर 2578, 2518 एवं 2580, 2581 की दक्षिणी मेड़ के सहारे होकर आवागमन कर सकता है जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते के बाद लगभग 400 मीटर की दुरी तय करनी पड़ती है जबकि प्रार्थी द्वारा चाहा गया प्रस्तावित रास्ते की दुरी 100 मीटर है जिसको पार करने पर खातेदारी भूमि में प्रवेश कर सकता है। न्यूनतम दुरी को देखा जाये तो प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता ही न्यूनतम दुरी का है ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 2562 रकबा 0.07 हैक्टयर में से 125 वर्गगीटर यानि 0.0125 हैक्टयर व आराजी नम्बर 2564 रकबा 0.28 हैक्टयर में से 300 वर्गगीटर यानि 0.0300 हैक्ट भूमि जिसकी डीएलसी दर 173304 रूपये प्रति बीघा के अनुसार 34083 रूपये भूमि कीमत बनती है जिसका दुगुना करने 68167 रूपये मुआवजा राशि का भुगतान विपक्षी खातेदार को करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.01.2021

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.29 13:58:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—70/2018 (2018/00136) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—सुभाषचन्द्र आत्मज लक्ष्मीलाल सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—गुलाब आत्मज गंभीर माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 2562 रकबा 0.07 हैक्टयर में से 125 वर्गगीटर यानि 0.0125 हैक्टयर व आराजी नम्बर 2564 रकबा 0.28 हैक्टयर में से 300 वर्गगीटर यानि 0.0300 हैक्ट भूमि जिसकी डीएलसी दर 173304 रूपये प्रति बीघा के अनुसार 34083 रूपये भूमि कीमत बनती है जिसका दुगुना करने 68167 रूपये मुआवजा राशि का भुगतान विपक्षी खातेदार को करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 12.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

12.01.2021

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.29 13:58:13 IST
Reason: SelfAttested